गाजन से दिवाल सड़क गजट नोटिफिकेशन

(५)

प्रपत्र 'ओ'

संख्या एफ. ७ (१२६)/वन० व./५४

जयपुर, जून १७, १९६४.

चूंकि इससे संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका व्यवस्थापन राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या १३) की धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपरोक्त अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जायेगा।

भूमि का विवरण

वन-खण्ड सुमेरा गोयवा

जिला	तहसील	पट्टी	ग्राम	अनुमानित क्षेत्रफल एकड़ों में	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
कोटा	शाहबाद		गुजरी	६१.५८	
"	"		धूंधा मुगावली	४१.८८	
"	"		धूंधा बड़	१४६.६१	
"	"		धंकाव	२१६.४४	
"	"		पालनटोडी	३५.००	
"	"		गुवाड़ी	४५.५२	
"	"		मरगुवा	५५८.७४	
"	"		बड़ा गोयरा	३१४.३०	
"	"		खाकीखेड़ा	११५६.८१	
"	"		भूती गोयवा	२६४४.४८	
"	"		हिंडोला	१४७८.१४	
"	"		डेरवा	८०५.६४	
"	"		नियावदा	९.८८	
"	"		टानर	४४.७२	
"	"		बांसखेड़ी	६६.३८	
"	"		गढ़खेड़ा	८४२.८२	
"	"		फरेरा कलोदी	४१२.८४	
"	"		चाक फरेदा	९१.४४	
"	"				
				कुल योग ८३६१.७४	

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

परिशिष्ट (ख)

वन-खण्ड सुमेरा गोयवा, रेन्ज शाहबाद का सूची सीमा चिन्ह निम्न प्रकार हैं: —

क्रमांक	स्तम्भ सं० से	स्तम्भ सं० तक	दूरी जरीब व कड़ियों में		दिशा आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
			जरीब	कड़ियें	
१	२	३	४	५	६
					(एप्रॉक्सिमेट फॉरवर्डिंग बीयरिंग)
१	१	२	२०	६२	उत्तर-पूर्व (५३°)
२	२	३	१७	२०	दक्षिण (१७१°)
३	३	४	१०	९०	दक्षिण-पूर्व-पूर्व (१०२°)
४	४	५	१६	६०	दक्षिण (१८०°)